

न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर०ए०एस०अति० सभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
 प्रकरण संख्या: 161/2020/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
 दायरा दिनांक: 14.09.2020
 अन्तर्गत धारा: 76 राज०भू राजस्व अधि०, 1956

उनवान

निरंजन कुमार आत्मज स्व० श्री राम गोपाल जाति किराड़ निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील सांगोद,
 जिला कोटा

...अपीलान्त

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर श्री छोटे महाप्रभु जी विराजमान कोटा जरिये अध्यक्ष श्रीमती गोस्वामिनी रेणुका बहु जी धर्मपत्नी श्री बृज रमणलाल जी महाराज, निवासी छोटे मदन मोहन जी की हवेली, बंगाली घाट, मथुरा
2. ग्राम पंचायत कुराड़िया खुर्द जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कुराड़िया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

...रेस्पो०



उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक —अपीलांत
 परोकार सरकार रेस्पो० क्र. 3

::निर्णय::

दिनांक 27.03.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा मूर्ति मंदिर श्री छोटे महाप्रभु जी विराजमान कोटा जरिये अध्यक्ष श्रीमती गोस्वामिनी रेणुका बहुजी बनाम निरंजन वगै० में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2020 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो० क्र० 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत कुराड़ियाखुर्द के इन्तकाल संख्या 378 आदेश 12.05.2011 के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाकर उक्त इंतकाल दिनांक 12.05.2021 को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 18.02.2020 पारित किया गया तथा तहसीलदार सांगोद को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

m. jey
 अति. स. आयुक्त
 कोटा

- 2 अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण मूति मंदिर श्री छोटे महाप्रभु जी विराजमान कोटा जयें अध्यक्ष श्रीमती गोस्वामिनी रेणुका बहुजी बनाम निरंजन वगैरे में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2020 से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया कि प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा के सर्वथा विपरीत है। विचारण न्यायालय ने ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर मिन 308 पश्चिम तरफ की 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि के 1/4 हिस्से की 5 बीघा भूमि के संबंध में जिसके वर्तमान सेटलमेंट में नये खसरा नम्बर 814/2 पश्चिमी रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 815/1 रकबा 0.77 है0 जुमला 2 किता की 0.81 है0 भूमि रकबा कायम हुआ है, के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 378 दिनांक 12.05.2011 ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील सांगोद सही रूप से नियमानुसार तस्दीक किया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाकर उक्त नामान्तरकरण को खारिज फरमाकर प्रकरण तहसीलदार सांगोद को (रिमाण्ड) प्रतिप्रेषित फरमाने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि अपील विषयक आराजियात रेस्पो० नं० 1 मूर्ति मन्दिर श्री छोटे महा प्रभु जी विराजमान कोटा के खाते में दर्ज नहीं थी। रेस्पो० नं० 1 नामान्तरकरण जेर अपील से व्यथित पक्षकार (एग्रीड परसन) नहीं थे तथा उन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकार धारा 96 सीपीसी के तहत प्रा०पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद बाबत हक घोषणा, खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11.4.2011 को खारिज फरमा दिया गया था। जिसकी रेस्पो० नं० 1 को एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय को भी जानकारी थी। इसके उपरान्त भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमा कर अपीलान्त के पक्ष में किये गये नामान्तरकरण सं० 378 दिनांक 12.5.2011 ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद को खारिज फरमाने में त्रुटि की है। पूर्व खातेदारान विक्रेता भंवरलाल, बंशीलाल, मांगीलाल पिसरान लक्ष्मीनारायण एवं लक्ष्मीनारायण आत्मज आँकार जाति माली निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ने खसरा नम्बर मिन 308 की पश्चिम तरफ की 20 बीघा 3 बिस्वा आराजी में से 5 बीघा भूमि दिनांक 12.10.2001 को 1,50,000/- रुपये में अपीलांत को विक्रय कर प्रतिफल की संपूर्ण राशि प्राप्त कर जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र बैचान कर कब्जा सम्भला दिया था। वक्त खरीद से ही अपीलान्त उपरोक्त भूमि पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है व वर्तमान में भी काबिज है। वर्तमान सेटलमेन्ट में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 814/2 पश्चिमी रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 815/1 रकबा 0.77 हेक्टर जुमला 2 किता की 0.81 है0 रकबा कायम हुआ है। उपरोक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्त के खाते दर्ज हो चुकी है। रेस्पो० नं० 1 ने अपीलान्त के विरुद्ध उपरोक्त भूमि के पंजीकृत विक्रय पत्र को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित किये जाने का दावा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उक्त वाद की अग्रिम कार्यवाही धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्थगित की गई थी, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। रेस्पो० नं० 1 मूर्ति मन्दिर श्री छोटे महाप्रभु जी विराजमान कोटा राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है अतः श्रीमती रेणुका बहुजी को मन्दिर की ओर से अपील करने का कोई अधिकार नहीं था इस आधार

m.ley
 आदि सांगोद
 कोटा

दिनांक 22.3.2020 से कोविड-19 के कारण अपील इस न्यायालय में पेश करने में विलम्ब हुआ है। लॉक डाउन हटने के बाद दिनांक 22.7.2020 को अपीलान्त अपने अभिभाषक के पास उक्त अपील की तारीख मालूम करने गया तो न्यायालय से मालूमात कर बतलाया कि उक्त अपील दिनांक 18.2.2020 को स्वीकार कर ली गई थी। दिनांक 22.7.2020 से पूर्व अपीलान्त को हुक्म जेर अपील के बाबत कोई जानकारी नहीं थी। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य करते हुए अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांत के पक्ष में तस्दीक किया गया नामांतरकरण सं० 378 दिनांक 12.05.2011 ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा को यथावत कायम रखा जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2023(1) Page No 576 Chaturbhuj vs. Ranglal पेश किये।

- 5 प्रस्तुत प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व प्रार्थना-पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्षकारान को सुना जाना उचित प्रकट होता है। अपीलांत का अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र धारा 5 के साथ अपील पेश कर कथन किया गया है कि दिनांक 22.3.2020 से कोविड-19 के कारण अपील इस न्यायालय में पेश करने में विलम्ब हुआ है। लॉक डाउन हटने के बाद दिनांक 22.7.2020 को अपीलान्त अपने अभिभाषक के पास उक्त अपील की तारीख मालूम करने गया तो न्यायालय से मालूमात कर बतलाया कि उक्त अपील दिनांक 18.2.2020 को स्वीकार कर ली गई थी। दिनांक 22.7.2020 से पूर्व अपीलान्त को हुक्म जेर अपील के बाबत कोई जानकारी नहीं थी। इस संबंध में SCI SUO Motu Writ Petition 3 OF 2020 10.01.2022 अनुसार स्पष्ट किया गया है कि *"In cases where the limitation would have expired during the period between 15.03.2020 till 28.02.2022, notwithstanding the actual balance period of limitation remaining, all persons shall have a limitation period of 90 days from 01.03.2022 is greater than 90 days, that longer period shall apply"*

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत अपील प्रकरण का अपील में विलम्ब का क्षम्य किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक प्रकट होता है।

- 6 प्रस्तुत प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 2012 में अपील प्रस्तुत की गयी, जो असाधारण विलम्ब प्रकट नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो० क्र.1 की ओर से प्रस्तुत पूर्व नकल सेटलमेंट जमाबंदी 2015-27 अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील सांगोद की खसरा सं० 308 रकबा 60 बीघा 17 बिस्वा, जिसके हाल खसरा सं० 814/2 रकबा 0.04 है० एवं खसरा सं० 815/1 रकबा 0.77 है० एवं अन्य हैं। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो० के द्वारा कथन किया गया है कि खसरा सं० 308 रकबा 60 बीघा 17 बिस्वा ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील सांगोद में से आराजी खसरा सं० 60 बीघा 9 बिस्वा अमल्या पुत्र काशीराम माली के अवैध कब्जे में दर्ज थी, जिसकी मृत्यु होने के उपरांत उसके स्थान पर उसके

मि. सु.
अति. सु. मायुक्त
कोटा

वारिसों के नाम अंकित कर इंतकाल संख्या 21 दिनांक 10.01.1963 खोला गया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचनात्मक निर्णय होना प्रकट नहीं होता। निर्णय Speaking Order की श्रेणी में नहीं प्रकट होता। अपीलांत के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से नामांतरकरण खोलना प्रकट होता है। अपीलांत को विक्रय पत्र रेस्पोजेण्ट द्वारा लिखित नहीं होकर अन्य व्यक्तियों द्वारा कराया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के प्रथम पैरा अनुसार मूर्ति मंदिर के नाम से आराजी अमल्या पुत्र काशीराम माली के दिनांक 10.01.1963 के इन्तकाल से हस्तांतरित होना प्रकट होता है। तत्पश्चात् भूमि का हस्तांतरण अन्य व्यक्तियों को विक्रय/विरासतन होता रहा है। रेस्पोजेण्ट द्वारा नामांतरकरण सं० 21 दिनांक 10.01.1963 के विरुद्ध चाराजोही करना पत्रावली पर प्रकट नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन कर यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि रेस्पोजेण्ट इस नामान्तरकरण से किस प्रकार व्यथित है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विवेचनात्मक निर्णय नहीं होने से पुनः विवेचनात्मक एवं तर्कसंगत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा प्रश्नगत आराजी के संबंध में अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद का निर्णय दिनांक 18.02.2020 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः विवेचन कर तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

- 7 निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(ममता कुमारी तिवारी)

अति०संभागीय आयुक्त
आत. पु. आयुक्त
कोटा